

संचिका सं०-10/विविध-16-13/2012 32(10) अ


बिहार सरकार  
स्वास्थ्य विभाग

शुद्धि-पत्र

स्वास्थ्य विभागीय राज्यादेश संख्या-143(10), दिनांक-17.02.2017 की कंडिका-4 एवं आवंटनादेश संख्या-19(10)ब, दिनांक-20.02.2017 की कंडिका-4 में आंशिक संशोधन निम्न प्रकार किया जाता है:-

2. "निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी बी०टी०सी० फार्म संख्या-46 में राशि की निकासी कर पूर्व पावती रसीद लेकर बैंक ड्रॉफ्ट के माध्यम से निदेशक, राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, शेखपुरा, पटना को उपलब्ध करायेंगे। निदेशक, राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार संस्थान स्वीकृत बल के विरुद्ध नियमानुकूल नियुक्त कर्मचारियों एवं पदाधिकारियों का ही वेतन भुगतान करना सुनिश्चित करेंगे। इस राशि से माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में यदि किसी बकाये का भुगतान अपेक्षित हो तो इसे प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा" के स्थान पर "निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित संस्थान से पूर्व पावती रसीद प्राप्त कर बी०टी०सी०-फार्म संख्या-42 में राशि की निकासी कर बैंक ड्रॉफ्ट के माध्यम से निदेशक, राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार संस्थान, शेखपुरा, पटना को उपलब्ध करायेंगे। निदेशक, राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान स्वीकृत बल के विरुद्ध नियमानुकूल नियुक्त कर्मचारियों एवं पदाधिकारियों का ही वेतन भुगतान करना सुनिश्चित करेंगे। इस राशि से माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में यदि किसी बकाये का भुगतान अपेक्षित हो तो इसे प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा" पढ़ा जाय।


3. शेष बातें यथावत रहेगी।

  
25/3/17  
(सचिवदानंद चौधरी)  
सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक:-10/विविध-16-13/2012 32(10) अ /स्वा०, पटना, दिनांक:- 25/3/2017

प्रतिलिपि-महालेखाकार, बिहार, पटना/वित्त विभाग, बजट शाखा, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी विकास भवन सचिवालय पटना/निदेशक, राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, शेखपुरा पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि-माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग के निजी सहायक/निदेशक प्रमुख (प्रशासन) स्वास्थ्य सेवायें, बिहार, पटना/अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/लेखा शाखा, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी प्रशाखा-10 एवं कार्यवाहक सहायक/आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
25/3/17  
सरकार के विशेष सचिव।